कारपोरेट सामाजिक दायित्व स्वैच्छिक दिशा–निर्देश 2009

भारत कारपोरेट सप्ताह
दिसंबर, 14-21, 2009

सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

कारपोरेट सामाजिक दायित्व
स्वैच्छिक दिशा–निर्देश
2009

सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

प्राक्कथन

भूमिका

प्रस्तावना

दिशा–निर्देश

- मौलिक सिद्धांत
- केन्द्रीय तत्व
- कार्यान्वयन दिशा–निर्देश

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्राक्कथन

सलमान खुर्शीद
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में हाल के दशक को उच्च वृद्धि वाले एक अवधि के रूप में देखा है जिसमें महत्वपूर्ण वैश्विक पदचिन्ह वाली एक मजबूत भारत निगम उभर कर आई है। इस दशक ने वित्तीय संकट को भी देखा है जिसने वैश्विक बाजारों को झकझोर कर रख दिया है। कारपोरेट क्षेत्र वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के झटके से उभर कर आ रह है, अतः भविष्य सुखद दिखाई पड़ता है। तथापि कारपोरेट क्षेत्र अपने को जारी रखने के संकट के बीच में भी खड़ा है जिससे व्यवसाय के अस्तित्व को खतरा पहुंचने की आशंका है। अतः इस दोराहे पर हमारे पास एक ओर वह रास्ता है जो समग्र विकास की ओर जाता है और दूसरा अस्थिर भविष्य की ओर ले जाता है। तथापि पहले रास्ते के लिए सावधानी पूर्वक विकास की अपेक्षा है जिसके लिए सभी पणधारकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना एवं उनक निर्वाहन करना होगा।

हमने देखा है कि व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा पिछले 60 वर्षों से शेयरधारकों के लिए धन एवं मूल्य उत्पादित किया गयकहै परंतु साथ–साथ गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण आदि की समस्याएं भी हैं जिसे राष्ट्र झेल रहा है। कारपोरेट वृद्धि को आय विषमता क्षमता के कारण कभी–कभी इंडिया एवं भारत के बीच की खाई को बढ़ाने का जिम्मेदार भी माना जाता है। इस खाई को भरना होगा। जबकि सरकार क्रमिक क्षेत्रीय कार्यक्रमों के द्वारा विस्तृत विकासात्मक पहल के कार्य करती है, व्यावसायिक क्षेत्र को भी वैसे सामाजिक उत्तरदायित्व वाले व्यावसायिक प्रयोग के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी जिससे समाज में लोगों के कल्याण के लिए धन का वितरण सही तरीके से करना सुनिश्चित हो सके।

भारतीय व्यवसाय पांरपरिक रूप से सामाजिक जिम्मेदार रहा है। अक्रिय लोकोपकारी रूप से लेकर व्यावसायिक मॉडल में पणधारकों के हितों को शामिल करने से लेकर अबतक भारतीय व्यावसायिक क्षेत्र ने सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया है। जबकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जन एवं आर्थिक ऊर्जा उपलब्ध है, परंतु इस ऊर्जा को सुप्रवाही करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार, कारपोरेट क्षेत्र एवं समाज को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने जिम्मेदार व्यवसाय के लिए स्वैच्छिक दिशा–निर्देश बनाने का निर्णय लिया जो संचालनों का मूल्य संवर्धित करेगी तथा व्यवसाय के लंबे समय तक जारी रहने को सुनिश्चित करेगी। ये दिशा–निर्देश व्यवसाय को पणधारकों एवं समाज के हित के लिए योगदान देने के समर्थ बनाने हेतु केन्द्रित होगें।

उस समय जब सरकार एक वृहत राष्ट्रीय पहल की आपूर्ति में लगी हुई है तथा विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अग्रणी भूमिका निभा रही है मैं विश्वस्त हूं कि भारत निगम राष्ट्रीय विकास की ओर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार होगी। मैं आशा करता हूं भारत में इन स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों को अपनाने और राष्ट्रीय विकास के प्रयास में भागीदार बनने के लिए अधिक से अधिक व्यवसाय आगे आएंगें।

सलमान खुर्शीद
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली
दिसंबर, 2009

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्राक्कथन

आर. बद्योपाध्याय
सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट क्षेत्र के प्रभावी संचालन एवं वृद्धि के लिए अधिक सक्षम, सहायक एवं विनियामक की भूमिका अपनाई है। न्यायिक, सेवा आपूर्ति तथा क्षमता वृद्धि के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पहल की जा रही है ताकि कारपोरेट क्षेत्र को वृद्धि के लिए एक विस्तृत एवं सक्षम विनियामक वातावरण प्रदान किया जा सके। साथ–साथ मंत्रालय का ध्यान कारपोरेट क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी केन्द्रित है।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का विषय पिछले कुछ दशकों में उभर कर आया है जिसमें सरल लोकोपकारी गतिविधियों से लेकर व्यवसाय के हित को संचालित होने वाले समाज के साथ समेकित किया गया हैं। अपने संचालन के प्रशासन में सामाजिक, वातावरण संबंधी एवं नैतिक जिम्मेदार व्यवहार का प्रदर्शन कर व्यवसाय अपने लिए मूल्य एवं लंबी अवधि तक स्थिरता उत्पन्न करने के साथ–साथ समाज को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक योगदान दे सकता है।

यद्यपि हमने हाल के दशक में स्थिर आर्थिक विकास की अवधि देखा है, परंतु अब भी हम मानवीय रूप से भारत में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां का सामना कर रहे हैं। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण आदि की समस्याओं ने जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को मुख्य धारा से अलग ''गैर–शामिल'' के रूप में रखा है। हमें इन चुनौतियों का सामना उचित प्रयास एवं मध्यस्थता के द्वारा करना है जिसमें सभी राज्य एवं गैर–राज्य कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर नवीन समाधान ढूंढने एवं कार्यान्वित करने होंगे।

भारतीय व्यवसाय पारंपरिक रूप से सामाजिक जिम्मेदार रहा है और कुछ व्यावसायिक घरानों ने इस विषय पर अपने प्रयास का प्रदर्शन बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से किया है। तथापि, सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति को व्यवसायों के प्रशासन में और अधिक अन्दर तक जाना होगा। व्यवसायी को सामाजिक प्रशासन प्रयोग अपनाने में सहयोग देने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों का एक संग्रह तैयार किया है जो कुछ महत्वपूर्ण कारकों को इंगित करता है जिन्हें व्यवसाय करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। इन दिशा–निर्देशों को हमारे देश के सामने आई प्रशासनिक चुनौतियों तथा समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। व्यापार एवं औद्योगिक चेम्बर, विशेषज्ञों तथा अन्य पणधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों के साथ–साथ कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विद्यमान एवं प्रयोग किए गए दिशा–निर्देशों, मानदंडों एवं मापदंडों को भी इन दिशा–निर्देशों को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

मंत्रालय आशा करता है कि अधिक से अधिक व्यावसायिक समाज सामने आकर इन दिशा–निर्देशों को अपनाएंगा। हम विभिन्न पणधारकों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हैं ताकि इन दिशा–निर्देशों को आगे और परिष्कृत किया जा सके एवं आने वाले महीनों में जिन्हें शामिल किए जाने का प्रस्ताव ह्य उन प्रस्तावित सिद्धांतों एवं केन्द्रीय तत्वों पर संचालनात्मक दिशा–निर्देश पर विस्तार पूर्वक कार्य किया जा सके। मैं विश्वस्त हूं कि भारत निगम भारतीय कारपोरेट क्षेत्र को जिम्मेदार व्यवसाय में एक वैश्विक अग्रणी बनाने की चुनौती स्वीकार करेगा।

आर. बद्योपाध्याय
सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली
दिसंबर, 2009

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रस्तावना

21वीं शताब्दी अभूतपूर्व चुनौतियों एवं अवसरों से भरी है जो वैश्वीकरण, समग्र विकास की इच्छा तथा वातावरण में परिवर्तन की अनिवार्यता से उत्पन्न हुई है। भारतीय व्यवसाय जिसे वैश्विक तौर पर आज के प्रभुत्व शाली भारत एक जिम्मेदार संघटन के रूप में देखा जाता है, अब हमारे समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अग्रणी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इसकी मान्यता पूरे विश्व में है कि व्यवसाय में सामाजिक, वातावरण संबंधी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के शामिल होने से वह लंबी अवधि तक सफल, प्रतियोगी एवं स्थायी होगा। यह बात इस विचार को भी सुदृढ़ करता है कि व्यवसाय समाज का एक अभिन्न अंग है एवं स्वस्थ पर्यावरण के स्थायित्व एवं वृद्धि में इनकी एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका हैं। साथ ही सामाजिक समग्रता एवं समानता, नैतिक प्रयोगों की आवश्यकता एवं अच्छे प्रशासन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे व्यावसायिक ज्ञान भी बनता है चूंकि प्रभावी सीएसआर सहित कंपनियों की छवि सामाजिक जिम्मेदार कंपनियों की है और वे लंबे समय तक स्थायी वृद्धि हासिल करती हैं एवं उनके उत्पाद एवं सेवाएं उपभोक्ताओं द्वारा पसंद की जाती है।

भारतीय उद्यमकर्ताओं एवं व्यावसायिक उद्यमों की परंपरा उन मूल्यों के तहत कार्य करने की रही है जिसने हमारे देश की चारित्रिक छवि को दशकों से परिभाषित किया है। भारत का प्राचीन ज्ञान, जो आज भी प्रासंगिक है, सभी पणधारकों के कल्याण के वृहत उद्देश्य के लिए कार्य करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करता है। ये बातें और सभी सम्मिलित मूल्य वर्तमान समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जबकि संगठन आधुनिक उद्यमों की चुनौतियों का सामना करते है तब पणधारकों एवं नागरिकों की इच्छाएं आर्थिक विकास एवं वृद्धि में सक्रिय भागीदारिता के लिए जागृत होती है।

सीएसआर लोकोपकार नहीं है तथा सीएसआर गतिविधियां पूर्णतया स्वैच्छिक है अर्थात– कंपनियां किसी सांविधिक अपेक्षा या बाध्यता के परे जो करना चाहेंगी। राष्ट्रीय अपेक्षाओं एवं नीतियों के ढ़ांचे के दायरे में कार्य करने के दौरान उपरिलिखित अपेक्षाओं के साथ कंपनियों द्वारा कार्य व्यवहार करने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु साथ ही कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए स्वैच्छिक दिशा–निर्देश का अनुसरण करना विकसित किया गया है। जबकि दिशा–निर्देश भारतीय परिप्रेक्ष्य में बनाए गए है तो भी वे उद्यम जो देश के बाहर भी निगमित है वे भी इन दिशा–निर्देशों का उपयोग कर देश के बाहर भी अपने कार्य का संचालन में लाभ उठा सकती हैं। चूंकि दिशा–निर्देश स्वैच्छिक है तथा एक निर्धारित रोड़–मैप के अंतर्गत नहीं बनाए गए है अतः उनका उद्देश्य विनियामक या करार से संबंधित नहीं है।

जबकि यह आशा की जाती है कि अधिक से अधिक कंपनियां इन दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रयास करेगी, पर कुछ कंपनियां यर्थात् कारणों से पूर्ण रूप से इन्हें अपना नहीं सकती हैं। ऐसे मामले में यह आशा की जाती है कि ऐसी कंपनियां अपने पणधारकों को उन दिशा–निर्देशों के बारे में सूचित करें जिन्हें वे कंपनियां या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अपनाने में सक्षम नहीं रही हो। यह आशा की जाती है कि ''भारत निगम'' इन दिशा–निर्देशों की ओर बहुत उत्साह के साथ प्रतिक्रिया देगा।

भारतीय कारपोरेट क्षेत्र द्वारा इन दिशा–निर्देशों को अपनाने के अनुभव पर विचार करने के पश्चात एवं संबद्ध प्रतिक्रिया एवं मुद्दों पर विचार करने के पश्चात सरकार इन दिशा–निर्देशों को और अधिक संशोधित बनाने के लिए एक वर्ष के पश्चात इनकी पुनरीक्षा का कार्य प्रारंभ कर सकती है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

दिशा–निर्देश

मौलिक सिद्धांत

प्रत्येक व्यावसायिक एंटिटी को अपनी रणनीतिक योजना को दिशा–निर्देश देने के लिए तथा सीएसआर पहलों को एक दिशा देने के लिए एक सीएसआर नीति तैयार करना चाहिए जो प्रत्येक व्यावसायिक नीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित होना चाहिए। नीति विभिन्न स्तर के कार्यकारी की भागीदारी से तैयार की जानी चाहिए और बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए।

मुख्य तत्वः

सीएसआर नीति में सामान्य रूप से निम्नलिखित मुख्य तत्व होने चाहिएः

1. सभी पणधारकों का ध्यान रखना

कंपनी को सभी पणधारकों जिनमें शेयरधारक, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, परियोजना से प्रभावित व्यक्ति, वृहत रूप से समाज आदि शामिल हैं, की हितों का सम्मान करना चाहिए एवं इन सबके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए तथा सभी के लिए मूल्य सृजित करने चाहिए। उन्हें इस प्रकार की प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि सभी पणधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा जा सके, अन्तर निहित जोखिमों के बारे में उन्हें सूचित करना चाहिए एवं जब भी ऐसी घटना हो तो उसे इसका शमन करना चाहिए।

2. नैतिक संचालन

उनकी प्रशासन व्यवस्था में नीति, पारदर्शिता एवं जवाबदेयता शामिल होनी चाहिए। उन्हें ऐसा व्यावसायिक प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अनैतिक, अनुचित, भ्रष्ट या गैर–प्रतियोगी हो।

3. कामगारों के अधिकारों एवं कल्याण का आदरः

कंपनियों को इस प्रकार का कार्यशील वातावरण प्रदान करना चाहिए जो सुरक्षित स्वास्थ्यकर एवं मानवीय हो और जो कर्मचारियों की निष्ठा का समर्थन करती हो। उन्हें सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए और उनके भविष्य को सुधारने के लिए समानता एवं गैर भेद–भाव आधार पर विकसित एवं आवश्यक कौशल प्रदान करना चाहिए। उन्हें संगठन की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए और मजदूरों की सामूहिक मोल–भाव को अधिकार को प्रभावी मान्यता को प्रोत्साहन देना चाहिए एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र होना चाहिए, बाल मजदूरों को

नियोजित नहीं करना चाहिए एवं किसी भी आधार पर भर्ती तथा नियोजन में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए।

4. मानव अधिकारों के प्रति सम्मान

कंपनियों को हमेशा ही मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा या किसी अन्य पक्ष के द्वारा मानव अधिकार के हनन की जटिलता से बचना चाहिए।

5. वातावरण के प्रति सम्मानः

कंपनियों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए; कचरे का प्रतिचक्रण, प्रबंधन करना चाहिए तथा प्राकृतिक साधनों का प्रबंधन एक स्थायी तरीके से करना चाहिए और भूमि एवं जल जैसे प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। मौसम में परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाना करने के लिए सक्रिय रूप से साफ उत्पादक तरीकों, ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए।

6. सामाजिक एवं समग्र विकास के लिए क्रियाकलापः

मुख्य सक्षमता एवं व्यावसायिक रुचि के आधार पर कंपनियों को समाज एवं भौगोलिक क्षेत्र विशेषकर उनके संचालन क्षेत्र के आसपास आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यकलाप करना चाहिए। इनमें शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए कौशल निर्माण, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण आदि शामिल है जो मुख्य रूप से समाज के निचले वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए।

कार्यान्वयन दिशा–निर्देश

1. व्यावसायिक एंटिटी की सीएसआर नीति को एक कार्यान्वयन नीति प्रदान करना चाहिए जिसमें परियोजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान, निश्चित समय के तहत भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना, संगठनात्मक प्रणाली एवं जिम्मेदारियां तय करना, समय–सूची एवं निगरानी शामिल होना चाहिए। कंपनियां स्थानीय प्राधिकरणों, व्यावसायिक संगठनों तथा समाज/स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी कर सकती है। वे सीएसआर पहल के लिए आपूर्ति कड़ी को प्रभावित कर सकती है एवं कर्मचारियों को सामाजिक विकास के लिए स्वैच्छिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। किसी विशेष क्षेत्र में सीएसआर कार्यकलाप करने के दौरान वे आवश्यकता मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्यांकन की प्रणाली विकसित कर सकती हैं। चयनित परियोजनाओं/क्रियाकलापों के लिए समय–समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

2. कंपनियों को अपने बजट में सीएसआर क्रियाकलापों के लिए एक निर्दिष्ट राशि आवंटित करनी चाहिए। इस राशि का संबंध कर के पश्चात लाभ, योजित सीएसआर क्रियाकलापों की लागत, या अन्य किसी उपयुक्त मापदंड से हो सकता हैं।

3. अन्य संगठनों के साथ अनुभव बांटने एवं संबंध स्थापित करने के लिए कंपनी को उन सभी स्थापित एवं मान्यता प्राप्त कार्यक्रम मंचों में शामिल होना चाहिए जो जिम्मेदार व्यावसायिक प्रयोग एवं सीएसआर क्रियाकलापों को बढ़ावा देती है। इससे कंपनियों को अपनी

सीएसआर नीति सुधारने में सहायता मिलेंगी और वे प्रभावी रूप से अपनी छवि को सामाजिक उत्तरदायी के रूप में प्रदर्शित कर सकती हैं।

4. कंपनियों को सीएसआर नीति, क्रियाकलाप एवं प्रगति की सूचना का प्रसारण सभी पणधारकों एवं साधारण जनता को एक संरचनात्मक तरीके से वेबसाइट, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य संचार साधनों के द्वारा करना चाहिए।